



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान/Under Ministry of Education, Govt. of India

क्षेत्रीय कार्यालय / BHOPAL REGION

E-Mail : admn-bhopal@kvs.gov.in

Phone : 2550728 (DC)

2551678 (AC/FO)

2551699 (AC/AO)

Fax : 0755-2553126

मैदा मिल के सामने,

भोपाल (म0प्र0)

Opp. Maida Mills,

Bhopal - 462 011.

फा. 14050/2020/केविसं/भोपाल/28005-28056
कार्यालय आदेश

दिनांक : 06/10/2020

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में गठित विभागीय संवीक्षा(पदोन्नति) समिति(DSC) की बैठक दिनांक 05/10/2020 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में की गई अनुशंसा एवं अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित अशैक्षणिक कर्मचारियों को, उनके संबंधित वर्ग में उन्हें उनके नाम के सामने दर्शाई गई दिनांक से संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (MACPS) के तहत कॉलम संख्या 08 में दर्शाये गये पे-मैट्रिक्स लेबल में वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

Sl. No.	Name of Employee Sh/Smt/Ku/Ms	Name of KV	Date from which the present post on regular basis is held	Date of initial appointment on regular basis and designation	Date of eligibility for MACP	No. of MACP Ist /IInd / IIIrd	Level in the Pay Matrix
1	2	3	4	5	6	7	8
वरिष्ठ सचिवालय सहायक(SSA)							
1	SUDHIR KUMAR GUPTA	NO.1 GWALIOR (Ist shift)	21.04.2008 SSA	14.09.1990 LDC	14.09.2020	III	Level-6
TOTAL=1(ONE)CASE							
सब स्टाफ(SUB STAFF)							
1	DEVKARAN DADHORE	CRPF BANGRASIA	03.02.1990 SUB STAFF	03.02.1990 SUB STAFF	03.02.2020	III	LEVEL-4
2	KISHOR SINGH DEWDA	RATLAM	02.07.1990 SUB STAFF	02.07.1990 SUB STAFF	02.07.2020	III	LEVEL-4
3	PRABHUDAYAL BHURIA	UJJAIN	02.07.1990 SUB STAFF	02.07.1990 SUB STAFF	02.07.2020	III	LEVEL-4
4	VISHNU RAM	ITBP KARERA	10.04.1990 SUB STAFF	10.04.1990 SUB STAFF	10.04.2020	III	LEVEL-4
5	LAXMI NARAYAN YADAV	GUNA	04.05.1990 SUB STAFF	04.05.1990 SUB STAFF	04.05.2020	III	LEVEL-4
6	RAGHUBIR PRASAD	GUNA	25.06.1990 SUB STAFF	25.06.1990 SUB STAFF	25.06.2020	III	LEVEL-4
7	ASHOK TEJI	BARWAHA	22.06.1990 SUB STAFF	22.06.1990 SUB STAFF	22.06.2020	III	LEVEL-4
8	DINESH KUMAR SINGH	NO.3 IInd Shift BHOPAL	12.01.1990 SUB STAFF	12.01.1990 SUB STAFF	12.01.2020	III	LEVEL-4
9	RAEES KHAN	DEWAS	05.01.1990 SUB STAFF	05.01.1990 SUB STAFF	05.01.2020	III	LEVEL-4
10	BABULAL CARPENTER	DEWAS	09.03.1990 SUB STAFF	09.03.1990 SUB STAFF	09.03.2020	III	LEVEL-4
11	SHYAM KUMAR DAWRE	DEWAS	07.03.1990 SUB STAFF	07.03.1990 SUB STAFF	07.03.2020	III	LEVEL-4

Total=11(ELEVEN) Cases

उपायुक्त, के विसं क्षेत्र, भोपाल
Deputy Commissioner, KVS, RO Bhopal

Cont'd.....2

संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (एमएसीपी) का उद्देश्य केवल ग्रेड-पे में पद स्थापना करना/वित्तीय लाभ प्रदान करना है तथा वास्तविक प्रयोजन प्रोन्नति के समान नहीं है और ना ही इस लाभ से उच्च पद पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त होगा सिवाय जैसा कि इस योजना के तहत है। संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन पर संबंधित कर्मचारी का वेतन मूल नियमों एवं एमएसीपी योजना के तहत निर्धारित किया जाएगा।



(सोमित श्रीवास्तव)
उपायुक्त

प्रतिलिपि :-

1. **संबंधित कर्मचारी।** कृपया इस आदेश के जारी होने की दिनांक से एक माह के अन्दर अपना वेतन निर्धारण विकल्प पत्र प्रस्तुत करें। एक बार प्रस्तुत किया गया वेतन निर्धारण विकल्प पत्र अंतिम होगा।

2. **प्राचार्य, संबंधित केन्द्रीय विद्यालय** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया इस आदेश की पर्याप्त मात्रा में छायाप्रति करके अपने विद्यालय के संबंधित कर्मचारी को उचित पावती के साथ सौंप दें। संबंधित की व्यक्तिगत पुस्तिका में इस आदेश की एक प्रति नस्ती करते हुए एक प्रति सेवा पुस्तिका में चस्पा कर आवश्यक प्रविष्टि कर दें। संबंधित कर्मचारी के वेतन का निर्धारण वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा किया जायेगा।

अतः वेतन निर्धारण के लिये संबंधित की सेवा पुस्तिका इस कार्यालय को भेजते समय संबंधित से वेतन निर्धारण विकल्प पत्र लेकर मूल प्रति में सेवा पुस्तिका में आदेश की छायाप्रति के साथ चस्पा कर प्रेषित करें। इस कार्यालय द्वारा विद्यालय से प्राप्त जानकारी/सूचना के आधार पर ही संबंधित कर्मचारियों को संशोधित आश्वस्त वृत्ति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय प्रोन्नति/उन्नयन स्वीकृत किया है। अतः उपर्युक्त आदेश से आपके द्वारा भेजी गई जानकारी/सूचना का मिलान कर लें एवं यदि उसमें कोई अंतर पाया जाता है तो तुरन्त इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें। संबंधित कर्मचारी से इस आशय का एक घोषणा पत्र भी प्राप्त कर लिया जाये कि संशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रगति योजना के तहत वित्तीय प्रोन्नति स्वीकृत करने में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापस ले लिया जायेगा। यदि संबंधित कर्मचारी का अन्यत्र स्थानांतरण हो गया हो तो इस आदेश को या इसकी प्रमाणित प्रति उस केन्द्रीय विद्यालय में जहाँ पर वह कार्यरत है को तुरन्त प्रेषित करें।

3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली।
4. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
5. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।
7. अध्यक्ष/सचिव, के0वि0सं0 शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ एसोसिएशन, भोपाल संभाग।

उपायुक्त
के0वि0सं0, क्षेत्रीय, भोपाल